

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- /07/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ में पथ/नहर/नदी/बांध तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹105.28 लाख (एक करोड़ पाँच लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹40.11 लाख (चालीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ में पथ/नहर/नदी/बांध तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹105.28 लाख (एक करोड़ पाँच लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹40.11 लाख (चालीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 19.0 कि.मी. में 15500 पौधारोपण का अग्रिम-सह-समापन कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक सम्पोषण कार्य किये जायेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-508 दिनांक-09.06.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना, जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-0109-प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011020109, विषय शीर्ष-0109.02.01-मजदूरी तथा 0109.21.01-सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
 8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
 9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
 11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
 13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
 14. संचिका संख्या-171/2025 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-16.06.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-30.06.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
 15. योजनाओं की समेकित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-15/टि० पर दिनांक-03.07.2025 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-171/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-08.07.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-171/2025-3515/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 09/07/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।
पथ तट एवं नहर/नदी /बांध तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक वृक्षारोपण कार्य का सारांश

क्र.	पथ का नाम	प्रक्षेत्र	प्रखण्ड	कि०मी०	कुल पौधों की संख्या	2025-26 (आश्विन-सह-समापन कार्य)	2026-27 (प्रथम वर्ष समारोपण कार्य)	2027-28 (द्वितीय वर्ष समारोपण कार्य)	2028-29 (तृतीय वर्ष समारोपण कार्य)	प्राकृतिक राशि	अभ्युक्ति
1	पड़री रेलवे क्रॉसिंग से मुड़ला बिगहा तक	हिलसा	चण्डी	2.0	2000	756021	317448	281366	242045	1596880	✓
2	मुसहरौ छिलका से धुरगाँव तक	हिलसा	एकंगरसराय	2.0	1500	273081	238086	211024	181533	903724	✓
3	कल्याणपुर से मुसौरा (महानन्दपुर से अ० गाँवों तक पथ तट)	बिहारशरीफ	बिहारशरीफ	3.7	5000	1695653	793619	703414	605112	3797799	✓
पथ तट का योग					8500	2724756	1349153	1195804	1028691	6298403	✓

क्र.	पथ का नाम	प्रक्षेत्र	प्रखण्ड	कि०मी०	कुल पौधों की संख्या	2024-25 (आश्विन-सह-समापन कार्य)	2025-26 (प्रथम वर्ष समारोपण कार्य)	2026-27 (द्वितीय वर्ष समारोपण कार्य)	2027-28 (तृतीय वर्ष समारोपण कार्य)	प्राकृतिक राशि	अभ्युक्ति
1	कंनार बाँध से देलाखण्ड गोधानगर	बिहारशरीफ	सरैया	6.0	4000	732541	634895	562730	484089	2414256	✓
2	दराय से रहमत बिगहा गाँव तक	हिलसा	इस्लामपुर	5.3	3000	554595	476171	422048	363067	1815882	✓
नहर / नदी / बांध तट					11.30	7000	1287136	1111067	984779	847156	4230137
पथ तट एवं नहर/नदी /बांध तट					19	15500	4011892	2460219	2180582	1875846	10528540

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

Technical approval on Scheme of 105,285sq/ (15 Over crore Five lakh Twenty eight thousand Give hundred Forty) and is accorded.

Forwarded

Conservator of Forests,
Patna Circle, Patna

Regional Chief Conservator of Forest,
Patna